

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240163 CG-DL-E-10112022-240163

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] No. 555] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/कार्तिक 18, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/KARTIKA 18, 1944

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

## आधार (नामांकन एवं अद्यतन)(दसवां संशोधन) विनियम, 2022

(2022 का संख्या 6)

सं. एचक्यू-16027/1/2022-ईयू-I-एचक्यू (2022 का संख्या 6).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 (2) (क) के साथ पठित धारा 54 की उपधारा (2) के उप-खंड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 2) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

#### भाग-।

### प्रारंभिक

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन विनियमों को आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्यांक 6) कहा जाएगा।
  - (1) ये विनियम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

### भाग-॥

7447 GI/2022 (1)

- 2. विनियम 16 का संशोधन मूल विनियम के विनियम 16 में, "इस अध्याय में विनिर्दिष्ट अद्यतन प्रक्रिया के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अद्यतन प्रक्रिया के अनुसार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 3. **नए विनियम 16क अंतर्वेशन -** मूल विनियम के विनियम 16 के बाद, निम्नलिखित नये विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"16क. दस्तावेजों का अद्यतन - आधार नंबर धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष के पूरा होने पर, उपर्युक्त आधार नामांकन एवं अद्यतन विनियम 10 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) को जमा करने के द्वारा, न्यूनतम एक बार, आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को अद्यतित कर सकते हैं, तािक केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) में सुरक्षित उनकी जानकारी की अनवरत सटीकता इस प्रकार सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि उसे समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।"

डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./380/2022-23]

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में दिनांक 14 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. 13012/64/2016/विधि/युआईडीएआई (2016 का 2) के माध्यम से प्रकाशित किए गए। इन विनियमों को तत्पश्चात् संशोधित कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड 4 में दिनांक 15 फरवरी, 2017 की अधिसूचना 13012/79/2017/विधि/युआईडीएआई 2017 की सं. (2017 का 1); दिनांक 7 जुलाई, 13012/79/2017/विधि/युआईडीएआई की सं. (2017 का 2): दिनांक 11 जुलाई, 2017 सं. 13012/79/2017/विधि/यूआईडीएआई (2017 3); दिनांक जुलाई, 2017 की का 13012/79/2017/विधि/युआईडीएआई (2017 5); दिनांक 12 जनवरी, 2018 की सं. का 13012/79/2017/विधि/युआईडीएआई(13) (2018 का दिनांक जुलाई, की सं. 1); 31 2018 13012/79/2017/विधि/युआईडीएआई(13) (2018 का 2); दिनांक सं. 09 सितंबर. 2019 की 13012/79/2017/विधि/युआईडीएआई(13)खंड-II(2019 का 3); दिनांक 02 जुलाई, सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13)/खंड-II (2020 का 03) एवं - एचक्यू-16041/4/2021-ईयू-I-HQ-भाग)।) (2022 का संख्या 2) दिनांक 3 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, The 9th November, 2022

# AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (TENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

(No. 6 of 2022)

**No. HQ-16027/1/2022-EU-I- HQ** (**No. 6 of 2022**).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of sub-section (2) of Section 54 read with Section 23(2)(a) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016(18 of 2016) the Unique Identification Authority of India, hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No.2 of 2016), namely:-

### Part I

### **PRELIMINARY**

- 1 . **Short title and commencement**.— (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Tenth Amendment) Regulations, 2022 (No. 6 of 2022).
  - (2) These regulations shall come into force with effect from the date of publication of this notification.

#### Part II

- 2 . Amendment of Regulation 16. In Regulation 16 of the principal Regulation, for the words "in accordance with update procedure specified in this Chapter", the words "in accordance with update procedure as specified by the Authority from time to time" shall be substituted.
- 3. **Insertion of new Regulation 16A**. After Regulation 16 of the principal Regulation, the following new Regulation shall be inserted, namely:-
- "16A. Update of Documents. Aadhaar number holders may, on completion of every 10 years from the date of enrolment for Aadhaar, update their supporting documents in Aadhaar, at least once, by submitting Proof of Identity (POI) and Proof of Address (POA) documents as specified under Aadhaar Enrolment and Update Regulation 10 hereinabove, so as to ensure continued accuracy of their information in the Central Identities Data Repository (CIDR), in such manner as may be specified by the Authority from time to time."

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./380/2022-23]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated 14th September, 2016. These regulations were subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notifications No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 1 of 2017) dated 15th February, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 2 of 2017) dated 7th July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 3 of 2017) dated 11th July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 5 of 2017) dated 31st July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal UIDAI(13) (No.1 of 2018) dated 12th January, 2018; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13) (No. 2 of 2018) dated 31st July, 2018; No. 13012/79/2017/Legal UIDAI(13)/Vol.II (No. 3 of 2019) dated 09th September, 2019; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (13)/Vol.II (No. 3 of 2020) dated 2nd July, 2020 and HQ-16041/4/2021-EU-HQ-Part(I) (No. 2 of 2022) dated 03rd March, 2022.